<u>आश्वासन /सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-45/2016/ 586/एक-6-2016-65(2)/2001</u>

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 06 सितम्बर, 2016**

विषय- जनपद इलाहाबाद नगर में हो रहे भूमि घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(आश्वासन संख्या-45-41-2004)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-106/रा0स0-एक्यू0-317, दिनांक 19 मई, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत आश्वासन में मा0 आश्वासन समिति की बैठक दिनांक 21-7-2010 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें रिट याचिका संख्या-55072/2009, बद्री विशाल टण्डन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित स्थगनादेश दिनांक 27-10-2010 को रिक्त/संशोधन कराने हेतु प्रभावी पैरवी कराने तथा मामले में होने वाली प्रगति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु अन्तरिम आख्या भेजी गयी है जो आधी-अधूरी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु मा0 समिति की बैठक दिनांक 21-7-2010 की कार्यवाही के उद्धरणों की छायाप्रति संलग्न है।

3- अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि कृपया प्रकरण की अद्यतन स्थिति की सूचना के साथ आश्वासन की पूर्ति हेतु पूरी सूचना/आख्या शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

<u>संख्या-45/2016/586(1)/एक-6-2016, तद्दिनांक ।</u>

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in